

का
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कारवाई के
बारे में टिप्पणी,
तारीख के
साथ।

21.02.2022

प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची
एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 116/2011

हैदर अली

बनाम्

कैलाश गोड़ाईत

प्रश्नगत पुनरीक्षण वाद अपर समाहर्ता, राँची द्वारा अपील वाद संख्या-16 आर0 15/2011-12 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में ग्राम-पकरियों, अंचल-चान्हों के खाता नं0-46 प्लॉट नं0-231, 232 में अवस्थित 0.77 एकड़ भूमि के वापसी का विषय सन्निहित है। भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय द्वारा वाद संख्या-58/2009-10 में भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया था। अपर समाहर्ता द्वारा आवेदकों के अपील को खारीज किया गया था। यह पुनरीक्षण आवेदन 16.08.2011 को दायर किया गया तथा 08.05.2012 के पश्चात् आवेदक इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। लगातार मौका दिये जाने के बाद भी दिनांक 10.01.2022 तथा 14.02.2022 को उभय पक्ष अनुपस्थित रहें। अन्ततः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।

आवेदकों का दावा है कि उनके पिता द्वारा 1962 में विपक्षी के पिता से 0.24 एकड़ भूमि सादा बिक्री पत्र से क्रय किया गया था जिसके पश्चात् उक्त भूमि पर मकान निर्माण किया गया। आवेदक का मुख्य दावा विपक्षी के इस्लाम धर्म कबूल किये जाने के कारण भूमि वापसी मान्य नहीं होने के बिन्दू पर आधारित है। निम्न न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि बितना गोड़ाईत के नाम से कायमी दर्ज है तथा विपक्षी खतियानी

